रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 1972/भाद्र 24, 1894
No. 212] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1972/BHADRA 24, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th September 1972

SUBJECT :—*Import of Fruits, dried, salted or preserved all sorts, N.O.S. excluding Dates (S. No. 21 (a) (ii)/IV), (ii) Dates (S. No. 21 (b)/IV), (iii) Medicinal Herbs (Crude drugs) (S. No. 87-109-IV), (iv) Asafoetida (S. No. 31 (b)/V), and other Miscellaneous items from IRAN during April-December, 1972.*

No. 135 5TC (PN)/72.—It has been decided to grant licences for import of various commodities from Iran during April—December, 1972 to the established importers, having past imports within the prescribed basic years, as shown against each item in Annexure I to this Public Notice. The licensing policy for each item has been indicated in column 5 of the aforesaid Annexure.

2. The established importers, eligible in terms of the current policy, may submit their applications to the respective licensing authority *viz.* Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay or Joint Chief Controller of Imports and Exports, (Central Licensing Area), New Delhi on or before the *6th October*, 1972 in the usual form and manner. No past import documents are required to be produced, provided such documents were submitted to the licensing authority concerned in the past and were

accepted by them for issue of licences for import of commodities from Iran, indicated in Annexure I. They should, however, quota details of licences obtained in the preceding two periods. Where, however, the established importers are applying for the first time, they are required to produce unimpeachable documents relating to past imports from Iran in respect of the items as in Annexure I for any one year with the pescribed basic yeas.

3. It has also been decided that the importers, who are eligible in terms of Annexure II to this Public Notice will also be granted licences for import of dry fruits only from Iran on equal value basis. They may submit their applications for import of dry fruits only from Iran for April—December, 1972 licensing period to Joint Chief Controller of Imports and Exports, (Central Licensing Area), New Delhi on or before the *6th October*, 1972, in the usual form and manner complete in all respects.

4. The minimum value of licences for dry fruits will be Rs. 4500/-. It has also been decided that those established importers who were granted minimum value licences for Rs. 3000/- for import of dry fruits from Iran, when the quota percentage was 10 per cent will continue to get minimum value licences for Rs. 4,500/- for nine months period *i.e.* April—December, 1972. The minimum value of licences for dates, Asafoetida and gums and resins, licensable on quota percentage basis, will be Rs. 750/- for nine months. It is, however, clarified that in the case of transfer/division of quota by established importers relating to above cases, the succeeding parties will be entitled to get licences in proportion to their share in approved quota of the original firm as provided in para 45 (2) of the I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1972-73 there the licences are issued on equal value basis in terms of this Public Notice, the entitlement of each party is to be divided proportionately among the split up concerns of the parent firm, in case of transfer/division of quota rights.

5. It may be noted that no double benefit will be given in respect of dry fruits, which is permitted for import both under Annexure I and Annexure II. The applicants for dry fruits should submit only one application either in terms of Annexure I or in terms of Annexure II; and they should clearly mention in their applicaion that they have applied in one capacity only and not under both.

6. Established importers, holding quota certificates for Crude Drugs on General Currency Area, which includes Iran, who are desirous of claiming licences under this policy, have to have past imports of Crude drugs from Iran in a different basic year than the one for which they hold quota certificates on General Currency Area. Evidence to this effect should be produced to the licensing authority, so that no double benefit accrues in respect of the same past imports.

7. Licensing will be done within the monetary limit fixed for each items. All incomplete applications are liable to be rejected.

8. Import licences granted in eligible cases will be valid for import from Iran either by Sailing Vessels or Land route. In the case of dry fruits, import will also be allowed by Steamships upto the full face value of the licence and such imports will be on c.i.f. basis. In the case of 'Dates' import should be effected by Sailing Vessels or Land route up to 60 per cent. of the face value of the licences and the balance 40 per cent by other means, *viz.* Steamship; if the licensees so desire at any time during the validity period of the licences.

9. Import licences issued in pursuance of this Public Notice will be valid for six months and will not be extended.

ANNEXURE I

Description and No. & Part of the I. T. C. Schedule.	Licensing Authority.	Validity of licences.	Basis of eligibility.	Licensing Policy.
1	2	3	4	5
(i) Dry Fruits. 21(a)(ii)/IV.	Jt.. CCI & E. (C.L.A.), New Delhi & Jt. CCI& E, Bombay.	Six months.	Applications from established importers having past imports of dry fruits from Iran within period from 1951-52 to 1969-70 will considered.	6% of the best years imports during the basic priod, subject to a minimum of Rs. 4,500/-. Minimum value licences for Rs. 4,500/- will also be admissible to those established importers, who were getting minimum value of licences for Rs. 3,000/- for import of dry fruits from Iran when the quota percentage was 10%.
(ii) Dates 21(b)/IV	Do.	Do.	Applications from established importers havingpast imports of dates from Iran within the period from1951-52 to 1969-70 will be considered.	37½% of the best years imports during the basic period.
(iii) Red Oxide 34-37(d)/V	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of RedOxide from Iranwithin the period from 1951-52 1969-70 will be considered.	On equal value basis.
(iv) Asafoetida 31(b)/V.	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of Asafoetida from Iran within the period 1951-52 to 1969-70 will be considered.	56¼% of the best year's imports during the basic period. NOTE:—*Importers of* Asafoetida from Iran are required to en*sure that the product conforms to the prescribed standards under the Prevention of food Adulteration Rules.*

1	2	3	4	5
(v) Medicinal Herbs, Crude Drugs listed in Annexure I & II of Appendix 19 to the Red Book for April, 1972—March 1973. 87-109-IV.	Jt. CCI&E, (CLA), New Delhi & Jt. CCI&E, , Bombay.	Six months.	Applications from established importers having past imports of Crude Drugs from Iran within the period from 1951-52 to 1969-70 will be considered.	On equal value basis
(vi) Gums, Resins and Lac all sorts, n.o.s. excluding oil, bantium and frankincense.7/V.	Do.	Do.	Application from established importers having past imports of these items from Iran within the period from 1951-52 to 1969-70 will be considered.	15% of the best year imports during the basic period.

ANNEXURE II

Description and No. and part of the I.T.C. Schedule.	Licensing Authority.	Validity of licences.	Basis of eligibility.	Licensing policy.
1	2	3	4	5
Dry fruits. 21(a)(ii)/IV.	Jt. CCI&E., (CLA), New Delhi.	Six months.	*Ad-hoc* licences for imports of Dry fruits from Iran will be issued to :— (i) Established Importers who have imports of fresh fruits to their credit from Afghanistan during the five years ended 30-6-57. (ii) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the 'General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan, during the period from 1951-52 to 1969-70. (iii) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the 'General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan during the period from 1945-46 to 1950-51, provided these imports had been accepted by the licensing authority for grant of *ad-hoc* licences for import of fresh fruits from Pakistan during 1960 to 1964. (iv) Established importers who have imports of dry fruits to their credit from Pakistan during the period from 1951-52 to 1969-70. (v) Co-operative Societies dealing in fresh fruits, subject to the production of a fresh certificate of registration from the concerned Registrar, Cooperative Societies, that they are still dealing in fresh fruits.	On equal value basis.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1972

विषय.—अप्रैल-दिसम्बर, 1972 में फलों, मेवे, नमकीन अथवा हर प्रकार के परिरक्षित खजूरों को छोड़ कर अन्यथा जो उल्लिखित नहीं है (क्र० सं० 21(ए)(2)/(4), (2) खजूर क्रम० सं० 21(बी)/4, (3) औषधीय बूटियां (अपरिष्कृत औषधियां) (क्रम सं० 87-109-4), (4) हींग (क्र० सं० 31 (बी)/5 तथा अन्य विविध मदों का ईरान से आयात।

संख्या : 135-आई०टी०सी० (पीएन)/72.—प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के, अनुबन्ध 1 के लिए दिखाई गई मदों में से हर एक अलग मद के लिए अप्रैल-दिसम्बर, 1972 की अवधि के लिए संस्थापित आयातकों को, जिन्होंने विहित आधारभूत वर्ष में आयात किया था, ईरान से विभिन्न पदार्थों के आयात के लिए लाइसेंस देने का निश्चय किया गया है। हर एक मद के लिए लाइसेंस देने की नीति यथागत अनुबन्ध के कालम 5 में बतलाई गई है।

2. वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत योग्य संस्थापित आयातकों को चाहिए कि वे अपना आवेदनपत्र सम्बन्धित लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी अथवा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई या संयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली को विहित प्रपत्र में और विधिरूप से 6 अक्तूबर, 1972 तक अथवा उससे पहले भेज दें। पिछले किए गए आयात से सम्बद्ध निहित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि उन लिखित दस्तावेजों को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को ईरान से पदार्थों के आयात लाइसेंस के लिए, जिन पदार्थों का उल्लेख अनुबन्ध 1 में किया गया है, पहले भेजा गया था और वे मंजूर कर लिए गए थे। परन्तु, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने पूर्वगत दो अवधियों में जो लाइसेंस लिए थे, उनका ब्यौरा दें। परन्तु जहां संस्थापित आयातक पहली बार पत्र भेज रहे हैं, उन्हे चाहिए कि विहित आधार भूत वर्ष में से किसी भी एक वर्ष में ईरान से आयात की गई मदों का, जिनका ब्यौरा अनुबन्ध-1 में दिया गया है, उससे सम्बन्धित संशयातीत दस्तावेजों को प्रस्तुत करें।

3. यह भी निश्चय किया गया है कि ऐसे आयातक, जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध 2 के अन्तर्गत योग्य है, उन्हें केवल ईरान से समान मूल्य के आधार पर सूखे फलों के आयात के लिए लाइसेंस भी दिए जाएंगे। उन्हें चाहिए कि वे अप्रैल-दिसम्बर, 1972 की लाइसेंस अवधि के लिए ईरान से केवल सूखे फलों के आयात के लिए आवेदन-पत्रों को हर प्रकार से पूरा करके विहित प्रपत्र में और विधिरूप से संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली को 6 अक्तूबर, 1972 तक अथवा उससे पहले भेज दें।

4. सूखे फलों के लिए लाइसेंसों का न्यूनतम मूल्य 4500 रूपये होगा। इस बात का भी निश्चय किया गया है कि जिस समय कोटा प्रतिशतता 10 प्रतिशत थी, उन संस्थापित आयातकों को जिन्हें ईरान से सूखे फलों के आयात के लिए न्यूनतम मूल्य 3000रुपये के लिए लाइसेंस स्वीकृत

किए गए थे, वे न्यूनतम मूल्य 4500 रुपये के लिए लाइसेंस नौ माह की अवधि के लिए अर्थात् अप्रैल दिसम्बर, 1972 के लिए प्राप्त करते रहेंगे। खजूर, हींग और गोंद तथा रेजिन्स जो कोटा प्रतिशतता के आधार पर लाइसेंस के योग्य है, उनके लिए 9 माह के लिए लाइसेंस का न्यूनतम मूल्य 750 रुपये होगा। लेकिन, इस बात का स्पष्टीकरण किया जाता है कि उपर्युक्त मामलों में सम्बन्धित संस्थापित आयातकों द्वारा कोटा के स्थानान्तरण/विभाजन की स्थिति में आयात व्यापार नियंत्रण नियम और कार्यविधि, हैंडबुक, 1972-73 की कंडिका 45(2) में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अनुवर्ती पार्टियां मूल फर्म के स्वीकृत कोटे में से अपने हिस्से के अनुपात में लाइसेंस प्राप्त करने के अधिकारी होंगी। स्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार जहां सामान्य मूल्य के आधार पर लाइसेंस दिए जाते है, कोटा अधिकारों के स्थानान्तरण / विभाजन होने की स्थिति में मूल फर्म से सम्बन्धित विपाटी के भीतर हर एक पार्टी के हक का अनुपातिक रूप से आबंटन किया जाता है।

5. यह ध्यान रहे कि सूखे फल जो अनुबन्ध 1 तथा 2 दोनों के अन्तर्गत आयात के लिए अनुज्ञप्त हैं, इन के सम्बन्ध में दोनों प्रकार के लाभ नहीं दिए जाएंगे। सूखे फलों के आयात करने वाले आवेदकों को चाहिए कि वे या तो अनुबन्ध 1 की शर्तों के अनुसार अथवा अनुबन्ध 2 की शर्तों के अनुसार केवल एक ही आवेदनपत्र भेजें और उन्हें चाहिए कि वे अपने आवेदनपत्रों में स्पष्ट रूप से लिख दें कि उन्होंने केवल एक के लिए आवेदनपत्र भेजा है न कि दोनों के लिए।

6. सामान्य मुद्रा क्षेत्र, जिसमें ईरान सम्मिलित है, से अपरिष्कृत भेषजों के लिए कोटाधारी संस्थापित आयातक जो इस नीति के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक है, उनके लिए यह अनिवार्य है कि जिस वर्ष के लिए उनके पास सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए कोटा प्रमाण-पत्र है, उससे भिन्न किसी एक भूत वर्ष में, भूतकाल में उन्होंने ईरान से अपरिष्कृत भेषजों का आयात किया हो। इस सम्बन्ध में लाइसेंस प्राधिकारी को साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि भूतकाल में किए गए एक ही कार के आयातों के लिए दो तरफा लाभ उपार्जित न किया जाए।

7. हर एक मद की निश्चित मौद्रिक सीमा के भीतर ही लाइसेंस दिया जाएगा। सभी अधूरे आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

8. वैध मामलों में दिए जाने वाले आयात लाइसेंसों को ईरान से नौप्रस्थान पोतों अथवा स्थल मार्गों से आयात के लिए वैध माना जाएगा। सूखे फलों के मामले में, लाइसेंसों के पूरे अंकित मूल्य तक पोतनाव द्वारा आयात करने की भी इजाजत होगी और ऐसे आयातों का आधार लागत-बीमा भाड़ा होगा। खजूरों के आयात के मामले में, 60 प्रतिशत तक के लाइसेंस के अंकित मूल्य तक आयात नौप्रस्थान पोतों अथवा स्थल मार्गों द्वारा होना चाहिए और यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस की वैध अवधि के दौरान किसी भी समय आयात करने के इच्छुक है तो शेष 40 प्रतिशत दूसरे साधनों जैसे पोत नाव द्वारा कर सकते हैं।

9. प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के विषय में जारी किए गए लाइसेंस छ : मास के लिए वैध होंगे तथा भविष्य में उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

अनुबन्ध 1

विवरण तथा सं० और अनुसूची का खंड	लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंसों की वैधता	पात्रता का आधार	लाइसेंस नीति
1	2	3	4	5
(1) सूखे फल 21 (ए) (2) / 4	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली, तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई- 1.	छ : मास	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951–1952 से लेकर 1969–70 की अवधि के दौरान सूखे फलों का आयात किया था।	आधार मूल अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 6 प्रतिशत, इसके अधीन कम से कम 4500 रु० का। वे संस्थापित आयातक भी न्यूनतम मूल्य 4500 रु० के लिए लाइसेंस दिए जाने के योग्य होंगे जो उस समय जब कोटा प्रतिशतता 10 प्रतिशत थी, ईरान से सूखे फलों के आयात के लिए न्यूनतम मूल्य 3000 रु० के लिए लाइसेंस प्राप्त करते रहे थे।

1	2	3	4	5
(2) खजूर 21(बी)/4	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पहले ईरान से 1951–52 से लेकर 1969–70 की अवधि के दौरान खजूरों का आयात किया था।	आधार मूल अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 37½ प्रतिशत।
(3) रैड आक्साइड 34–37(डी)/5.	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली, तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात बम्बई-1.	छ : मास	उन संस्थापित आयातकों के आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951–52 से लेकर 1969–70 की अवधि के दौरान रैड आक्साइड का आयात किया था।	समान मूल्य के आधार पर।
(4) हींग 31(बी)/5	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951–52 से लेकर 1969–70 की अवधि के दौरान हींग का आयात किया था।	आधार भूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 56¼ प्रतिशत। नोट:—ईरान से हींग के आयातकों को इस बात का सुनिश्चय करने की जरूरत है कि उत्पाद खाद्य अपमिश्रण नियम निवारण के अन्तर्गत निर्धारित मानकों की पुष्टि करता है।

1	2	3	4	5
(5) औषधीय बूटियां अपरिष्कृत औषधियां जिनकी सूची अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 की रैडबुक के परिशिष्ट 19 के अनुबन्ध 1 तथा 2 में दी गई है। 87–109/4.	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पहले ईरान से 1951–52 से लेकर 1969–70 की अवधि के दौरान अपरिष्कृत औषधियों का आयात किया था।	समान मूल्य के आधार पर।
(6) गोंद रेजिस तथा लाख हर किस्म के जो अन्यथा रूप से उल्लिखित नहीं है। लोहबान बहने वाला गोंद को छोड़कर। 7/5	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1969–70 की अवधि के दौरान इन मदों का आयात किया था।	आधार भूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 15 प्रतिशत।

अनुबन्ध 2

आईटीसी अनुसूची की संख्या, विवरण तथा भाग	लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंसों की वैधता	पात्रता का आधार	लाइसेंस देने की नीति
1	2	3	4	5
सूखे फल 21(ए)/(2)/4	संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली	छ : मास	ईरान से सूखे फलों के समान मूल्य के तदर्थ आयात लाइसेंस इनको दिए जाएंगे :— 1) उन संस्थापित आयातकों को जिन्होंने अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात पांच वर्षों के दौरान अपने खाते से किया था जिसका अन्त 30—6—57 को हुआ । 2) उन संस्थापित आयातकों को जिन्होंने ताजे फलों का आयात 1951—52 से लेकर 1969—70 तक की अवधि के दौरान किसी सामान्य क्षेत्र में आने वाले देशों में अफगानिस्तान को छोडकर किन्तु पाकिस्तान शामिल है, अपने खाते से किया हो । 3) उन संस्थापित आयातकों को जिनका ताजे फलों का आयात	आधार पर

1	2	3	4	5
			1945–46 से 1950–51 की अवधि के दौरान किसी सामान्य क्षेत्र से जाने वाले देशों में अफगानिस्तान को छोड़कर, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, अपने खाते से किया हो, बशर्ते कि 1960 से 1964 के दौरान पाकिस्तान से किए जाने वाले तदर्थ ताजे फलोंके आयात लाइसेंसों को लाइसेंस प्राधिकारी ने मंजूर कर लिया था। 4) उन संस्थापित आयातकों को जिनका ताजे फलों का आयात 1951–52 से लेकर 1969–70 की अवधि के दौरान उनके खाते में हो। 5) सहयोग समितियां जो ताजे फलों का व्यापार करती है बशर्ते कि वे संबंधित पंजीयक, सहकारी समितियों से पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वे अभी भी ताजे फलों का व्यापार कर रही है।	

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972